न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–257/2026
मोरकाही थाना काण्ड सं0–37/2026

शान्ति देवी एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–II,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. शान्ति देवी, 2. पूजा कुमारी, 3. मनीषा कुमारी, 4. छतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार उर्फ सिन्दू साह, 5. जगदीश साह उर्फ जगदीश प्रसाद एवं 6. नितीश साह उर्फ प्रवीण साह** की ओर से मोरकाही थाना काण्ड सं0–37/2026, धारा–126(2), 115(2), 109, 303(2), 352, 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो शपथ– पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर की ओर से संचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उनका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी धारा–110, 303(2) BNS को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है, जो आवेदकगण के विरूद्ध नहीं बनता है। उभय पक्ष आपस में पड़ोसी हैं तथा दोनों पक्षो के बीच जमीनी विवाद है। यह मामला मोरकाही थाना काण्ड सं0–36/26 का प्रतिवाद है। कथित अपराध में आवेदकगण की कोई सहभागिता नहीं है। आवेदकगण मुकदमे का सामन करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 20.02.2026 समय लगभग 12 बजे दिन में जगदीश साह, छतीश कुमार उर्फ सिंटू साह, नितीश साह उर्फ प्रवीण साह, शांति देवी, नितीश कुमार की पत्नी, सतीश कुमार उर्फ सिन्दू साह की पत्नी, सभी मिलकर जबरदस्ती सूचक की जमीन में पीलर गाड़ने लगे, जब सूचक उसे रोके तो उपरोक्त सभी व्यक्ति रड, खंती एवं लाठी से प्रहार करने लगे और गले से सोने का चकती एवं दस हजार रूपया छीन लिये। सूचक बोले कि जब आपका जमीन है तो पैमाईश क्यों नहीं करवा लेते हैं, इस पर गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगो। सूचक ईलाज कराने के कारण आवेदन विलम्ब से दिये।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्, खगड़िया

अग्रिम जमानत आवेदन सं0-257/2026

मोरकाही थाना काण्ड सं0-37/2026

लगातार

11.03.2026

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण के विरूद्ध ऊपरी अंकित धारओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदकगण इस काण्ड का नामित अभियुक्त हैं तथा इन पर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है। उभय पक्ष आपस में पड़ोसी हैं तथा दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद एवं वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है। कथित घटना दिनांक 20.02.2026 की है, जबकि प्राथमिकी विलम्ब से दिनांक 25.02.2026 को दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। आवेदकगण के कब्जे से घटना से संबंधित कोई भी अवांछित वस्तु की बरामदगी नहीं की गयी है। जमानत आवेदन के पारा-3 के अनुसार, आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर संबंधित विचारण न्यायालय में आत्मसर्मपण करने अथवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर अन्तर्गत धारा-482(ii) BNSS के तहत निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए मो0-10,000/-(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध-पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	11.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	16.03.26
Uploading by	Nikesh Kumar D.(O)